

प्रेषक,

सुशील कुमार,  
अपर सचिव,  
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

- |  |   |
|--|---|
| 1. महानिदेशक,<br>चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग,<br>डांडा लखौण्ड, सहस्त्रधारा रोड, देहरादून। | 2. प्रबन्ध निदेशक<br>उत्तराखण्ड पेयजल संसाधन विकास एवं निर्माण,<br>11, मोहनी रोड, देहरादून। |
| 3. निदेशक<br>महिला सशक्तीकरण एवं बाल विकास विभाग,<br>नन्दा की चौकी, प्रेमनगर, देहरादून                   | 4. निदेशक.<br>समाज कल्याण विभाग,<br>हल्द्वानी, नैनीताल                                      |
| 5. निदेशक,<br>उद्यान विभाग<br>देहरादून।  | 6. निदेशक,<br>पशुपालन विभाग,<br>मोथरोवाला, देहरादून   |
| 7. निदेशक,<br>मत्स्य विभाग,<br>भोपालपानी, समीप रायपुर, देहरादून।   | 8. निदेशक,<br>जड़ी बूटी शोध संस्थान,<br>गोपेश्वर, चमोली                                     |
| 9. निदेशक,<br>डेयरी विकास,<br>मंगल पड़ाव, हल्द्वानी, नैनीताल   | 10. अपर आयुक्त,<br>ग्राम्य विकास,<br>उत्तराखण्ड, पौड़ी गढ़वाल।                              |

पंचायतीराज अनुभाग-1

देहरादून, दिनांक : 21 दिसम्बर, 2015

विषय: डॉ० ए० पी० जे० अब्दुल कलाम ग्राम बदलाव योजना के अन्तर्गत ग्राम पंचायत विकास योजना हेतु ड्राफ्ट प्लान निर्माण की अद्यतन स्थिति से अवगत कराये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषय के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि दिनांक 4 दिसम्बर, 2015 को प्रमुख सचिव महोदया, पंचायतीराज, उत्तराखण्ड की अध्यक्षता में आहत ग्राम पंचायत विकास योजना एवं राजीव गाँधी पंचायत सशक्तीकरण अभियान की समीक्षा बैठक में निर्णय लिया गया है कि " ग्राम पंचायत विकास योजना के अन्तर्गत ग्राम पंचायतों की खुली बैठकों में ग्राम पंचायत का पर्सपैक्टिव प्लान निर्माण से पूर्व विभिन्न विभागों से नियोजन हेतु आवश्यकता आंकलन कराते हुए Vulnerability Mapping करा ली जाय। इसमें मुख्यतः स्वास्थ्य, पेयजल, स्वच्छता, बाल एवं महिला विकास, समाज कल्याण, उद्यान एवं आजीविका के क्षेत्र की सम्भावनाओं, जड़ी बूटी, डेयरी, मत्स्य, पशुपालन आदि को भी सम्मिलित किया जाय। इसमें ग्राम पंचायत के क्लस्टर/सैक्टर चिन्हित कर Vulnerability Mapping कराते हुए शिशुमृत्यु दर, लिंगानुपात, कुपोषण की स्थिति बी०पी०एल० परिवारों की संख्या, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, स्वास्थ्य आजीविका आदि का सैक्टरवार मैपिंग कर ग्राम पंचायतों का चिन्हांकन कर लिया जाये ताकि तदनु रूप ग्राम पंचायत विकास योजना में ग्राम पंचायतों अपनी प्राथमिकताओं का निर्धारण कर सकें।



2- आपके स्तर से उपरोक्त सूचना प्राप्त होने के उपरान्त पंचायतीराज विभाग द्वारा शासकीय कर्मियों एवं पंचायत प्रतिनिधि आदि के क्षमता निर्माण हेतु प्रशिक्षण, सहभागी नियोजन हेतु वातावरण सृजन एवं सभी ग्राम सभाओं की बैठक कराकर आगामी वर्षों के वार्षिक योजनाएँ व अन्य वर्षों की संदर्भ योजना (Perspective Plan) 31 मार्च 2016 तक पूर्ण की जानी है।

3- उक्त के संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि Vulnerability Mapping कराते हुए शिशुमृत्यु दर, लिंगानुपात, कुपोषण की स्थिति बीपीएल परिवारों की संख्या, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, स्वास्थ्य आजीविका आदि की मैपिंग करते हुए ग्राम पंचायतों को चिह्नित कर सैक्टरवार मैपिंग की सूचना 15 दिनों के अन्तर्गत (दिनांक 22 दिसम्बर, 2015 तक) शासन एवं निदेशक, पंचायतीराज को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।


भवदीय,

(सुशील कुमार)  
अपर सचिव।

संख्या: 2174 /XII(1) /15-96 (01) /2012-T.C-I तददिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. निजी सचिव, प्रमुख सचिव, पंचायतीराज विभाग, उत्तराखण्ड शासन को प्रमुख सचिव महोदय के संज्ञानार्थ।
2. निदेशक, पंचायतीराज, उत्तराखण्ड, देहरादून।
3. समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
4. समस्त मुख्य विकास अधिकारी, उत्तराखण्ड।
5. समस्त जिला पंचायतराज अधिकारी, उत्तराखण्ड।
6. गार्ड फाईल।

  
(जे०एल०शर्मा)  
उप सचिव  
I